राजस्थान सरकार

(कायदा – 19)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2021/289

I.L.R. का जवाब दे गया (तनकी हैं सामान्य) प्रस्तावित फर्द I.L.R. द्वारा ही बताई है।

प्रतिवादी सं० 2 व 3 ने जवाब पेश किया प्रति० 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसर की।

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दावर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	
177	11/2021	22.3.21		3.5.24 (साक्ष्य प्रति०)
				07.6.24
				21.6.24
				12.7.24
				5/8/24
				12/8/24
				02/9/24
				23/9/24
				दोनों वकील के Not inst—
				1/10/24
				30/10/24
				21/11/24

21/11/24

Not Instr

12/8/24

राजस्थान सरकार

अनवान

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार V/S गोपाल पुत्र परथमा वगैरह भील

श्री .... श्री ....

(बिजोलिया)

निवासी .... निवासी डेरखेड़ा

अधिवक्ता वादी / प्राथी / अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

डिक्रीदार मदयून

मुकेश धाकड़

श्री पैरोकार सरकार श्री घनश्याम धाकड़

1 – EX

2 – No Ins

3 – No Ins

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बिजौलियां**

सरकार **बनाम** गोपाल

किस्म मुकदमा 177 नम्बर 1 सन **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.3.2021 2/3/21	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 30/3/2021 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
30/3/21	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगणों की समन की तामील प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादीगण स. 2 की ओर से घनश्याम धाकड़ अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण स. 3 की ओर से अधि. मुकेश धाकड़ ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। श्रीमान P.O. साहब दौरे पर होने से कार्य स्थगित रखा गया। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दि. 1.4.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जि -भीलवाडा	
1/4/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी उप.। अधिवक्ता घनश्याम धाकड़ ने प्रतिवादी स. 2 की ओर से और अधिवक्ता मुकेश धाकड़ ने प्रतिवादी स. 3 की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी स. 1 को आवाज दिलायी गयी गैर हाजिर अतः इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए जाते हैं। पत्रावली वास्ते तनकीह दि. 5.4.21 को पेश हो।	

5/4/21 पत्रावली पेश हुई पेशकार एवं वकील प्रतिवादी उपस्थित हो. इनकी [illegible] पेश हुई जो [illegible] पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दि 7/4/21 को पेश हो।

7/4/21 पत्रावली [illegible] उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर [illegible] पत्रावली दिनांक 15.4.21 को वास्ते साक्ष्यवादी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

15/4/21 कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने एवं मा. राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त निर्देशानुसार लॉकडाउन अवधि में न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने के कारण पत्रावली दिनांक 9.6.21 को पेश हो।

9/6/21 कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने एवं मा. राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त निर्देशानुसार लॉकडाउन अवधि में न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने के कारण पत्रावली दिनांक 22.7.21 को पेश हो।

22/7/21 पत्रावली पेश हुई। पेशकार सरकार उपस्थित। साक्ष्यवादी में गवाह पेश करने हेतु अवसर चाहते हैं। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दि. 3.8.21 को पेश हो।

3/8/21 पत्रावली पेश हुई। [illegible] / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर [illegible] पत्रावली दिनांक 28.9.21 को वास्ते साक्ष्यवादी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

22/10/21 प्रावधान [illegible] के [illegible] में [illegible] पक्षकार [illegible] पक्षकार [illegible] सहमति [illegible] राजीनामा नहीं हो सका पत्रावली 16.12.21 को वास्ते साक्ष्यवादी पेश हुई।

(उपखण्ड अधिकारी)
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

FO[illegible]

राज अदालत

रस्म मुकदमा

तारीख हुक्म	हुक्म या का[illegible]
6/12/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक [illegible] उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर [illegible] दिनांक 13/1/22 को वास्ते सा.वा[illegible] उप [illegible]
3/1/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक [illegible] उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर [illegible] दिनांक 16/3/22 को वास्ते सा.वा[illegible] उप [illegible]
13/3/22	पत्रावली [illegible] उपस्थित [illegible] ~~[illegible].4.22~~ दिनांक 7.4.22 [illegible] सा.वा[illegible] उप [illegible]
[illegible].4.22	पत्रावली पेश[illegible] दिनांक 5.5.2[illegible]
5/5/22	पत्रावली पेश[illegible] दिनांक 23/6[illegible]
8/5/22	पेशकार सरका[illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] पेश हुई। [illegible] दि. 1.6.2022

जज अदालत ______ मुकाम ______

______ बनाम ______

किस्म मुकदमा ______ नं.______ वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16 12/21	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 13/1/22 को वास्ते सा. वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
13 1/22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 16/3/22 को वास्ते सा. वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
16 3/22 ~~7.4.22~~	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 7.4.22 को वास्ते सा. वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
7.4.22	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते (साक्ष्यवादी) दिनांक 5-5-22 को पेश हो	
5/5/22	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 23/6/22 को पेश हो	
18 5/22	पेरोकार सरकार द्वारा शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दि. 1.6.2022 को पेश हो।	

TechNova Navadom USR 16059085560 02190916

तारीख	हुक्म
1/6/22	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दि. 29/6/22 को पेश हो।
29/6/22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 5/7/22 को वास्ते सा. वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
05.07.2022	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 27.07.22 को वास्ते सा. वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
27.7/22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 5/8/22 को वास्ते सा. वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
5/8/22	पत्रावली पेश हुई। सरकार पैरोकार व वकील प्रतिवादी उप.। साक्ष्यवादी में PW-1 में गिरदावर भंवरलाल रेबारी के बयान लिए गए जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते सा. वादी दिनांक 2.9.22 को पेश हो।
2/9/22	पत्रावली पेश हुई। सरकार पैरोकार व वकील प्रतिवादी उपस्थित। साक्ष्यवादी में और गवाह पेश नहीं करना चाहते है। साक्ष्यवादी बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यप्रतिवादी दि. 16.9.22 को पेश हो।

तारीख	हुक्म
16/9/22	पत्रावली पेश हुइ। ... उपस्थित श्रीमान् P.O. ... दिनांक 30/9/22 को ...
30/9/22	पत्रावली ... पर सरक... वास्ते सा...
4/10/22	पत्रावली पेश ... उपस्थित श्रीमान् ... दिनांक 18/11/...
18/11/22	पत्रावली ... उपस्थित ... दिनांक ...
10/2/23	पत्राव... उपस्थि... दिनांक ...
9/2/23	पत्रावल... उपस्थित ... दिनांक ...
1/4/23	पत्राव... उपस्थि... दिन...

हुक्म		हुक्म की तामील में जारी हुए
18/9/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 30/9/22 को वास्ते सा. प्रति पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
30/9/22	पत्रावली पेश हुई। उप चुनाव में ड्यूटी होने पर सरकार पैरोकार अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दि 14.10.22 को पेश हो।	
14/10/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 18/11/22 को वास्ते सा. प्रति वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
18/11/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 10/2/23 को वास्ते सा - प्रति पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
10/2/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 24/2/23 को वास्ते सा - प्रति पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
24/2/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O.सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 21/4/23 को वास्ते सा - प्रति पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
21/4/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 5/5/23 को वास्ते सा प्रति पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
5/5/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रतिवादी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्यप्रति दिनांक 19/05/2023 को पेश हो।
19/5/23	पत्रावली पेश हुई। अभि... ...दी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर ... दिनांक 9/6/23 को वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी। उप खण्ड अधिकारी
9/6/23	पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्र... उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 16/6/23 को वास्ते सा. प्रति पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
16/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता विपक्षीगण एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्यप्रतिवादी दिनांक 23/6/23 को पेश हो।
23/6/23	पत्रावली पेंश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 7/7/23 को वास्ते सा. प्रति पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
7/7/23	पत्रावली पेंश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 14/7/23 को वास्ते सा. प्रति पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
14/7/23	पत्रावली पेंश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 28/7/23 को वास्ते सा. प्रति पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
28/7/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 9/8/23 को वास्ते साक्ष्य प्रति पेश हो।

तारीख हुक्म		हुक्म की तामील में जारी हुए
4/8/2023	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 29/9/23 को वास्ते सा. प्रति. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
29/9/23	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्यप्रतिवादी दिनांक 6/10/23 को पेश हो।	
6/10/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 13/10/23 को वास्ते सा. प्रतिवादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
13/10/2023	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 20/10/23 को वास्ते सा. प्रतिवादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
20/10/23	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्यप्रतिवादी दिनांक 27/10/23 को पेश हो।	
27/10/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 5/1/24 को वास्ते साक्ष्यवादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
5/1/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 19/1/24 को वास्ते साक्ष्यवादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
19/1/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 9/2/24 को वास्ते सा. वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

जज अदालत ______ मुकाम ______

______ बनाम ______

किस्म मुकदमा ______ नं. ______ वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/8/24	पत्रावली पेश। हुई विपक्षी (3) की तरफ से अधिवक्ता मुकेश धाकड़ ने No Instruction किया जिसे स्वीकार किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी आगामी दिनांक 02/9/24 को पेश हो। [signature]	
2/9/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता [illegible] धाकड़ ने विपक्षी नाहु की तरफ से No Instruction किया। पत्रावली वास्ते उचित आदेश आगामी दिनांक 23/9/24 को पेश हो। [signature]	Nothing Other [signature] [illegible]
23/9/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 1/10/24 को वास्ते [illegible] पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	
1/10/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 30/10/24 को वास्ते [illegible] पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	
21/11/24	पत्रावली पेश हुई। ...भाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 2 1/.. को वास्ते [illegible] पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

वादपत्र संख्या 11/2021

दायर तारीख 22.03.2021

अनवान्

01. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

01. गोपाल पुत्र लखमा हिस्सा 3/25 जाति भील निवासी केरखेडा तहसील बिजौलियां
02. बालु पुत्र मोती हिस्सा 3/25 जाति भील निवासी केरखेड़ा तहसील बिजौलियां
03. मोहनलाल पुत्र कजोड़ हिस्सा 19/25 जाति भील निवासी केरखेड़ा तहसील बिजौलिया

........प्रतिवादी

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार।
2. मुकेश धाकड़
3. घनश्याम धाकड़ अधिवक्ता ....प्रतिवादीगण

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :–21/11/2024

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा कि ग्राम केरखेड़ा पटवार हल्का रेसुन्दा भू.अभि.निरक्षक क्षेत्र–कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 99 में अंकित खसरा संख्या 668/236 क्षेत्रफल 0.7284 हैक्टेयर भूमि वर्गीकरण बारानी तृतीय प्रतिवादीगणों के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित खसरा संख्या 668/236 क्षेत्रफल 0.7284 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगणों ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नहीं कर आराजी नम्बर पर प्रतिवादीगणों द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया। प्रतिवादियों को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगणों द्वारा भूमि पर 80 गुणा 50 गुणा 1.5 मीटर बराबर 6000 घनमीटर पत्थर कटाई अवैध खनन किया है। शेष आराजी पर पत्थर व मलबा डालकर अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया। खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नहीं कर अवहेलना करने से भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने योग्य है। अतः प्रतिवादी की उक्त आराजीयात को खारीज कर बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। वादी तहसीलदार बिजौलियां ने वादपत्र के साथ भू अभि निरिक्षक कांस्या द्वारा प्रमाणित ग्राम केरखेड़ा पटवार हल्का रेसुन्दा भू.अ़भि.निरक्षक क्षेत्र–कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 99 में अंकित खसरा संख्या 668/236 की जमाबंदी आधार संवत् 2076–2079, नक्शा ट्रेस एवं मौका पर्चा ग्राम केरखेड़ा की प्रति प्रस्तुत की हैं। तहसीलदार बिजौलियां द्वारा दावे के साथ साक्ष्य के रूप में कार्यालय खनि अभियन्ता , खान एवं भू–विज्ञान विभाग बिजौलियां द्वारा जारी मौका पंचनामा दिनांक 05.03.2021 को प्रस्तुत किया। विपक्षी 02 की तरफ से अधिवक्ता घनश्याम

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

धाकड ने और विपक्षी 03 की तरफ से अधिवक्ता मुकेश धाकड़ ने अधिकारी पत्र पेश किया। विपक्षी 01 बाद सूचना अनुपस्थित रहा, उसको तीन बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी 01 के विरूध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। विपक्षी 02 की तरफ से अधिवक्ता घनश्याम धाकड ने और विपक्षी 03 की तरफ से अधिवक्ता मुकेश धाकड़ ने जवाब पेश किया जो शामील पत्रावली है। तत्पश्चापत्रावली में तनकी कायम की गई। वादी की तरफ से भू.अभि.निरिक्षक कांस्या के बयान लेखबद्ध किए गए जो शामिल पत्रावली है। विपक्षी 02 की तरफ से अधिवक्ता घनश्याम धाकड ने और विपक्षी 03 की तरफ से अधिवक्ता मुकेश धाकड़ ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं(नो इन्सट्रक्शन किया) की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पेरोकार सरकार की बहस एवं प्रतिवादी द्वारा पेश जवाब पर मनन किया। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों एवं साक्ष्य का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं दस्तावेजों व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन करने के पश्चात् न्यायालय प्रतिवादीगणों की अग्रलिखित आराजीयात को खारिज कर ग्राम ग्राम केरखेड़ा पटवार हल्का रेसुन्दा भू.अभि.निरक्षक क्षेत्र–कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 99 में अंकित खसरा संख्या 668/236 क्षेत्रफल 0.7284 हैक्टेयर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करना उचित समक्षते हैं।

–: आदेश :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम केरखेड़ा पटवार हल्का रेसुन्दा भू.अभि.निरक्षक क्षेत्र–कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 99 में अंकित खसरा संख्या 668/236 क्षेत्रफल 0.7284 हैक्टेयर भूमि वर्गीकरण बारानी तृतीय भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 21/11/**2024** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

बइजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

वादपत्र संख्या 11/2021

दायर तारीख 22.03.2021

अनवान्

01. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.......डिकीदार

बनाम्

01. गोपाल पुत्र लखमा हिस्सा 3/25 जाति भील निवासी केरखेडा तहसील बिजौलियां
02. बालु पुत्र मोती हिस्सा 3/25 जाति भील निवासी केरखेड़ा तहसील बिजौलियां
03. मोहनलाल पुत्र कजोड़ हिस्सा 19/25 जाति भील निवासी केरखेड़ा तहसील बिजौलिया

.... मदयून

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार। ....डिकीदार
2. मुकेश धाकड़
3. घनश्याम धाकड़ अधिवक्ता .... मदयून

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 21/11/2024

डिकी दिनांक 21/11/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार उपस्थित के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ड़िक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम केरखेड़ा पटवार हल्का रेसुन्दा भू.अभि.निरक्षक क्षेत्र–कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 99 में अंकित खसरा संख्या 668/236 क्षेत्रफल 0.7284 हैक्टेयर भूमि वर्गीकरण बारानी तृतीय भूमि को **बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें**। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। डिकी मूर्तिब हों।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

नीज ....Nil............................मुबलिग .... Nil ....

बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे ।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 11 वर्ष 2024 को जारी किया गया ।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान			स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान		

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा